न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2015/00183 (190/2015) 223 आरटीएक्ट

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. करणीसिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत नि0 ललानिया तह0 नोहर

– अपीलान्ट

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर?
2. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
3. कुमेरूसिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
4. छाजुसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
5. लिलूसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
6. बजरंगसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
7. सांवरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
8. मगनीकंवर पत्नि सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
9. विक्रम पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
10. प्रधान पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
11. सुनिता पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
12. कविता पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
13. पुनम पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
14. लैला पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
15. मोहन पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
16. रामकिशन पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां त0नोहर
17. धर्मपाल पि0माता गुलाबदेवी पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
18. चन्द्रो जोजा हुक्माराम जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
19. खींचनी जोजा मिराज जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
20. रामी जोजा कालुराम जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
21. चावली जोजा रामलाल जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
22. राजेराम पुत्र हरसुख जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

23. भानीराम पुत्र हरसुख जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
24. सुरजाराम पुत्र हरसुख जाति जाट नि0 ललानियां तह0 नोहर
25. हनुमान पुत्र हंसराम जाति सुथार नि0 खरसण्डी तहसील नोहर
26. राजस्थान जरिये तहसीदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

– असल रेस्पोडैन्टस

27. सवाई सिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
28. मोहन सिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
29. महावीर सिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
30. करणीसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
31. गुड्डी कंवर पुत्री जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
32. किरण कंवर पुत्री जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
33. विमलाकंवर पुत्री जगदीशसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
34. दलीप सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
35. रतनसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
36. भगवानसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर
37. रेशम सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत नि0 ललानियां तह0 नोहर

––तरतीबी रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनाक 27.10.2007 द्वारा उपखण्डाधिकारी(राजस्व), नोहर प्र. सं. 97/2003 बअनवानी जयसिंह आदि बनाम जगदीशसिंह आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट सं0 1

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट संख्या 2

श्री मनीराम अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री मांगेराम राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक –25.02.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 व सोहन सिंह ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मौजा ललानियां के विभिन्न खसरा नम्बरान की 323.14 बीघाा भूमि मुशतरका खाता में थी,

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

जिसमें वादी संख्या 1 व 2 के पिता भंवर सिंह का 1/4 भाग, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा था। चारो ने भिन्न–भिन्न तारीखों को 89.02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 11 को विक्रय कर दी। मृतक भंवर सिंह व उसके भाईयों ने अपनी उपरोक्त भूमि का 30 साल पहले बाहमी तौर पर तकसीम कर ली व मुताबिक तकसीम वादी संख्या 1 व 2 को विभिन्न खसरा नम्बरान की 50.07 बीघा व वादी संख्या 3 को विभिन्न खसरा नम्बरान की 61.08 बीघा भूमि तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को प्राप्त हुई। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर मुताबिक बाहमी बंटवारा व मौका पर कब्जा के मुताबिक अलग अलग खाता व रकम कायम किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. कि प्रतिवादी संख्या 1ए से 1ई ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर कलैम प्रस्तुत कर कथन किये कि वाद के कथनों से इन्कार करते हुए कथन किये कि वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है व वादीगण ने हिस्सा कस्सी गलत दर्ज की है काउन्टर कलैम में दर्ज हिस्सा कस्सी अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा व इस भूमि का किस्म भूमि के मुताबिक तकसीम की जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम करने का अनुतोष चाहा।
3. कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के आधार पर तनकीयात विरचित करने के पश्चात पी डब्लयु–1 जयसिंह, पी डब्लयु–2 राजेराम व डी डब्लयु–1 सवाई सिंह की साक्ष्य ली गई व बाद सुनवाई दिनांक 27.10.2007 को वाद वादीगण डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।
4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडैन्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का विभाजन होने के कथन किये थे लेकिन रेस्पोडैन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत नही किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत् भूमि का विभाजन हुआ हो। विभाजन के वाद में जहां विभाजन होने के तथ्य साबित नही हो वहां पक्षकारान के कब्जा सम्बन्धी रिपोर्ट ली जाकर ही अन्तिम डिक्री किया जाना चाहिए लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन सम्बन्धी कोई रिपोर्ट न ली जाकर सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी की है जो विधिसम्मत् नही है। साक्ष्य में वादीगण स्वयं ने स्वीकार किया है कि विभाजन की कोई लिखा पढी नही हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। यह विधिक स्थिति भी साफ है कि मुश्तरका खाता की भूमि पर अलग–अलग कब्जा होने से पक्षकारान के मध्य विभाजन होना स्वीकार नही किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 2010 पेज 207, आर आर टी 2011 पेज 229, आर आर डी 1996 पेज 280, आर बी जे 2002 पेज 222, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर बी जे 2010 पेज 649 प्रस्तुत किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व पूर्व में अपील पेश की थी जो खारिज की जा चुकी है, उसी निर्णय व डिक्री के विरूद्व पुनः अपील प्रस्तुत नही की जा सकती। रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 88 आर टी के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था व 88 आर टी ए के वाद में विभाजन प्रस्ताव की आवश्यकता नही है। इसके अतिरिक्त यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के काफी समय पश्चात प्रस्तुत की गई है व देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नही किया है अपील अपीलांट मियाद बाहर है व इसी आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 व सोहन सिंह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए का प्रस्तुत किया गया था तथा **वाद का आधार यह अंकित किया गया था कि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत् भूमि के सम्बन्ध में दावा दायरी से अर्सा 30 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है लेकिन रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत् भूमि का तकसीम हो चुका है व प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा भी उपस्थित होकर वादाधीन भूमि का विभाजन नही होने के कथन किये हैं इसके अलावा वादीगण/रेस्पोडैन्ट ने अपने वाद के अनुतोष में अंकित किया है कि मुताबिक बाहमी बंटवारा व मौका पर कब्जा के मुताबिक अलग अलग खाता कायम किया जावे लेकिन किस खसरा की भूमि रेस्पोडैन्ट का कब्जा है इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत नही किये गये हैं। पत्रावली के अध्यन से यह भी सामने आया है कि पक्षकारान के दरेम्यान प्रश्नगत् भूमि के विभाजन होने व न होने को लेकर विवाद था व जहां 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा गया हो और विभाजन व कब्जा को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद हो ऐसी स्थिति में वाद में विभाजन व कब्जा के तथ्यों को साबित करने के लिए सक्षम अधिकारी से रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के कब्जा सम्बन्धी रिपोर्ट लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 27.10.2007 निरस्त किया प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को उपरोक्तानुसार सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 13:02:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: